

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 ५२५ / न0 ३० वि०

दिनांक १-१-१४


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ३० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री भर्ती सौनाले ३१३१ बाला, जो दोपके कुमार जायसवाला, जो प्र० प्र० कुमारे ३१३१ बाला के ३१३१ बाला, २१ कुन्तलसूर्यका डेवलपमेंट पैमाने २१३१ के २१३१ के ३१३१ बाला, पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या ५९०,८०३,८०४,४८८८०४ जाने द्वारा पुरुष वार्ड १२, लुपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक २०



गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र
नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : १- यह स्वीकृति पत्र केवल ५ वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

२. इस अनुमति पत्र में सङ्केत, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा २९३ के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

३. मकान निर्माण से यदि नाली सङ्केत की पटरी अथवा सङ्केत या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाई पिछवाई अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

४. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९७३ (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम १९७०) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

५. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् १५ दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जपीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

७. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विधवंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्त :—

1. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 22 पेड़ लगाना होगा।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि 01.07.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. शासनादेश सं0-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं0-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
5. स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल के लेबिल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
6. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
7. भवन में ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
8. भविष्य में यदि स्वामित्व सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है जो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. पक्ष को प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण कराना होगा।
10. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
11. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन, अभिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वामित्व/बिल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
12. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
13. शासनादेश संख्या 3338/आठ-1-11/80विविध/2010 दिनांक 26.09.11 के परिप्रेक्ष्य में विकासकर्ता को क्रास साहर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से (E.W.S.I.L.I.G.) श्रेणी के भवनों को निर्माण की अनुमति देय है। अतः पक्ष को शासनादेश में चिह्नित समस्त बिन्दुओं का एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शासनादेश का उलंगन करने की दशा में अगर कोई विधिक कार्यवाही होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी।
14. स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई.आई.टी. रुड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्देशित तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।
15. भवन के अनुवर्ती तल 9th Floor पर सेट बैक में कमरों या प्लैट्स से कोई पहुँच नहीं होगी।
16. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से करना होगा।
17. पक्ष एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर को यह सुनिश्चित् करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा को अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
18. बेसमेन्ट की प्रस्तावना जो बिल्डिंग लाईन से अधिक पर प्रस्तावित है, उसमें स्लैब प्रस्तावित, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
19. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
20. शपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित् करना होगा।

३१/१११४

जगर अभियन्ता (भवन)
दिक्कास प्राधिकरण, वाराणसी।